Subject Teacher: Jai A. Nishad

Topic: भारत में सहकारी आन्दोलन

Class: M.Com II sem

भारत में सहकारी आन्दोलन

भारत में सहकारी आन्दोलन

1. **प्रस्तावना**

- भारत में सहकारिता का इतिहास सौ वर्षों से भी अधिक पुराना है। इस प्रकार के प्रतिवेदन के लिहाज से सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन संभव नहीं है। अतः निम्नलिखित वर्णन सहकारी संगठनों के वर्तमान स्वरूप के पीछे की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करने का संक्षिप्त प्रयास है।

2. **पृष्ठभूमि**

- विधिवत सहकारी संगठनों के चलन में आने से पहले भी भारत के कई भागों में सहकारिता की अवधारणा और इस पर आधारित गतिविधियां प्रचलन में थीं। ग्रामीण समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से बनाए जाने वाले जलाशय या वन, जिन्हें जलराई तथा बनराई कहा जाता था, आम थे। इसी प्रकार ऐसे भी उदाहरण हैं, जहां कोई समूह संसाधनों को एकत्रित करते थे, जैसे कि अनाज का भण्डार बनाया जाता था, जिसमें से अगली फसल के पहले आवश्यकता पड़ने पर उधार लिया जा सकता था या फिर नियमित अंतराल पर सदस्यों से किश्त लेकर जरूरतमंद सदस्य को नकद उधार देना, जैसा कि मद्रास प्रेसिडेन्सी में चिट फण्ड ट्रावनकोर में कुरी या कोल्हापुर में बीसी आदि। इसी प्रकार कोल्हापुर में 'फण्ड' व्यवस्था थी, जिसमें किसान जलाशय बनाकर पानी के बराबरी से बंटवारे की व्यवस्था करते थे, साथ ही फसल की कटाई और मण्डी तक अनाज पहुंचाने की भी। एक व्यवस्था 'लाना' भी थी, जिसमें किसान मिलकर जुताई-बुआई का वार्षिक समझौता करते थे तथा श्रम और बैलों की संख्या के हिसाब से सदस्यों के बीच उपज का बंटवारा होता था। ये सहकारिता के उदाहरण थे।

- • उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में कृषकों को संस्थागत वित्त न दिए जाने से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के कारण कष्ट और असंतोष बढ़ता जा रहा था। 1880 के अकाल आयोग और बीस वर्ष बाद 1901 के आयोग ने भारतीय कृषकों के ऋणग्रस्त होने की बात कही, जिसकी वजह से कई बार उनकी जमीन सूदखोरों के कब्जे में चली जाती थी। डेक्कन के दंगों और बढ़ते असंतोष के कारण सरकार को कुछ पहल करनी पड़ी, लेकिन वैधानिक उपायों से स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

- • कृषि बैंकों का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1858 में और फिर 1881 में जस्टिस् एम0जी0 रानाडे के सहयोग से मि0 विलियम बेडरबर्न ने रखा, जो अहमदनगर जिले के न्यायाधीश थे। मार्च, 1892 में मि0 फ्रेडरिक निकल्सन को मद्रास प्रेसिडेंसी के गर्वनर द्वारा इस प्रेसिडेंसी में कृषी या भूमि बैंको की स्थापना की संभावना देखने हेतु नियुक्त किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दो खण्डों में 1895 तथा 1897 में प्रस्तुत की।

- • 1901 में दुर्भिक्ष आयोग ने सांझी साख संगठनों की स्थापना द्वारा ग्रामीण कृषि बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया और इस दिशा में उत्तर पश्चिम प्रान्त और अवध की सरकारों द्वारा कदम उठाए गए। लोगों के समूह को एकत्रित करने के पीछे विचार यह था कि इनमें नई और स्वैच्छिक महत्वपूर्ण साख बन सकेगी, जिसकी वजह से ये समूह गारंटी प्रस्तुत कर सकेंगे और ऋणदाताओं को भी व्यक्ति की बजाए समूह को ऋण देना कम जोखिम भरा लगेगा। आयोग ने कृषि बैंकों के आदर्श/सूत्र भी सुझाए।

3. **सहकारी साख समिति अधिनियम, 1904 - आरंभिक स्थापना**

- • इन घटनाओं को देखते हुए और सहकारी समितियों को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए सरकार ने एडवर्ड लॉ कमेटी नियुक्त की जिसमें मि0 निकल्सन भी सदस्य थे। यह कमेटी स्थितियों को परख कर एक कार्य-व्यवस्था बनाने के लिए थी। इस समिति की अनुशंसाओं पर आधारित सहकारी समिति विधेयक 25 मार्च, 1904 को प्रकाश में लाया गया। जैसा कि नाम से जाहिर है सहकारी ऋण समिति अधिनियम केवल ऋण संबंधी सहकारी संगठनों तक सीमित था। 1911 तक 5300 समितियां बन चुकीं थीं, जिनमें 3 लाख से अधिक सदस्य थे। 1904 के अधिनियम के पहले 5-6 वर्षों में भारत में निबंधित हुई कुछ सहकारी समितियां इस प्रकार थीं: राजाहौली ग्रामीण बैंक, जोरहाट, जोरहाट कोआॅपरेटिव टाउन बैंक, चारीगांव ग्रामीण बैंक, जोरहाट, असम (1904), तिरूर प्राइमरी कृषि सहकारी बैंक लि0, तमिलनाडु (1904), एग्रीकल्चर सर्विस कोऑपरेटिव सोसायटी लि0, देवगांव, पिपरिया, मध्य प्रदेश (1905), बैंस कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लि0, पंजाब (1905), बिलीपद सर्विस कोऑपरेटिव सोसायटी लि0 उड़ीसा (1905), गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया, सेक्रिटरेट कोआॅपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी (1905), कनिंगल वैश्य सेवा सहकारी बैंक लि0, कर्नाटक (1905), कसाबे ताड़वले कोऑपरेटिव मल्टीपरपस (बहुउद्देशीय) सोसायटी, महाराष्ट्र (1905), प्रीमियर अर्बन क्रेडिट सोसायटी ऑफ कलकत्ता, पश्चिम बंगाल (1905), चित्तूर कोऑपरेटिव टाउन बैंक, आंध्रा प्रदेश (1907), रोहिका यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि0, बिहार (1909), इस अधिनियम के अंतर्गत कई गैर-ऋण संबंधी पहलें भी हुईं, जैसे - मद्रास में ट्रिपलीकेन सोसायटी, जो एक दुकान चलाती थी, धारवाड़ और हुबली में बुनकर ऋण संस्थाएं जो सूत आदि को ऋण में देती थीं। इनका पंजीकरण अर्बन क्रेडिट सोसायटी (शहरी ऋण समितियां) के तौर पर हुआ था।

- 1904 के अधिनियम में समितियों की स्थापना, सदस्यता के लिए अर्हता, निबंधन, सदस्यों पर देयता, मुनाफे का निष्पादन सदस्यों का अंश और हित, समितियों के लाभ, सदस्यों पर दावे, लेखापरीक्षा, निरीक्षण और पूछताछ, समाप्ति, करों में छूट और नियम बनाने की शक्ति जैसे विषयों पर प्रावधान थे। क्रियात्मक तथा प्रबंधन से संबंधित विषयों को स्थानीय सरकार पर छोड़ दिया गया था ताकि वे सहकारी समितियों के नियम एवं उप नियमों को आवश्यकतानुसार बनाएं। सहकारी समिति अधिनियम 1904 का ही प्रभाव था कि निबंधक की संस्था सामने आई, जो एक ऐसी आधिकारिक व्यवस्था थी जिसमें सही रूख एवं विशेष प्रशिक्षण वाले अधिकारी सहकारिता को बढ़ावा दें।

4. **सहकारी समिति अधिनियम, 1912**

- सहकारी समितियां की संख्या में प्रत्याशा से कहीं अधिक विकास को देखते हुए सन् 1912 का सहकारी समिति अधिनियम आवश्यक हो गया था तथा अपने सदस्यों को ऋणेतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों का गठन किया जा सकता था। इस अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समितियों के संघ का भी प्रावधान किया गया था।
- इस अधिनियम से, ऋण के क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों का परिवर्तन केन्द्रीय सहकारी बैंक के रूप् में हो गया, जिसके सदस्य प्राथमिक सहकारी समितियां तथा व्यक्ति थे। इसी प्रकार ऋणेतर गतिविधियों जैसे क्रय-विक्रय संघों, विक्री समितियों तथा गैर-कृषि क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों तथा अन्य दस्तकारों की समितियों का आयोजन सहकारिता के आधार पर किया गया था।

5. **सहकारिता पर मैक्लेगन समिति 1914**

- बैंकिग संकट तथा प्रथम विश्व युद्ध दोनों ने सहकारी समितियों के विकास को प्रभावित किया। यद्यपि सहकारी समितियों के सदस्यों की जमा पूंजी की मात्रा काफी बढ़ गई थी, किन्तु युद्ध ने नकदी फसलों के निर्यात और मूल्यों को बुरी तरह प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक कृषि समितियों की देनदारी काफी बढ़ गई थी। स्थिति का जायज़ा लेने के लिए अक्तूबर, 1914 में सर एडवर्ड मैक्लेगन की अध्यक्षता में स्थिति का अध्ययन करने और सहकारी समितियों के भविष्य के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने सहकारिता पर एक समिति नियुक्त की। समिति की सिफारिशों का विवरण जो मूलतः ऋण सहकारी समितियों से संबंध है, अनुलग्नक-3 में दिया गया है। इसने मुख्यतया अल्पावधि तथा मध्यावधि पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से त्रि-स्तरीय संरचना - आधार रूप में प्रत्येक राज्य में प्राथमिक स्तर पर सहकारी संस्था, मध्य स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक और सबसे ऊपर (शीर्ष पर) राज्य सहकारी बैंक स्थापित करने की सिफारिश की। इन समितियों के सहकारी चरित्र, प्रशिक्षण तथा सदस्य शिक्षा तथा रजिस्ट्रार एवं उसके स्टाफ से प्रशिक्षण पर काफी बल दिया।
6. सन् 1912 के अधिनियम के बाद, पहली सहकारी आवास समिति 1914 में मद्रास सहकारी संघ, 1918 में बम्बई केन्द्रीय सहकारिता संस्थान तथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब आदि में इसी प्रकार की समितियां स्थापित की गई। उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा बुनकर सहकारी समितियों के अलावा

अन्य गैर-कृषि सहकारी ऋण समितियों का निष्पादन अच्छा रहा और इस अवधि में उनकी संख्या और परिचालन में वृद्धि हुई।

7. **भारत सरकार अधिनियम 1919**

- सन् 1919 में सुधार अधिनियम पारित करने के साथ-साथ, सहकारिता का विषय प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया गया। सन् 1925 का पहला प्रांतीय अधिनियम बम्बई सहकारी समिति अधिनियम के द्वारा एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत की शुरूआत हुई।

8. कृषि ऋण की स्थिति चिन्ता का विषय थी तथा विभिन्न समितियों ने विभिन्न प्रांतों में सहकारी बैंकों की समस्याओं पर ध्यान दिया। सन् 1928 में शाही कृषि आयोग ने भी सहकारिता क्षेत्र का पुनरीक्षण किया और अन्य बातों के साथ-साथ भूमि बंधक बैंक की स्थापना की सिफारिश की ।

9. कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों में समितियों का गठन किया गया किन्तु निजी विक्रय एजेंसियों तथा संचालक मण्डल की अनुभवहीनता के कारण अधिकतर समितियों को प्रचालन संबंधी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। इसने शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए सहकारी समितियों और संघों को मजबूत बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। इस समय का महत्वपूर्ण विकास अखिल भारतीय सहकारी समिति संघ 1929 की स्थापना था।

10. सन् 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से कृषि ऋण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ने रिजर्व बैंक के अंतर्गत कृषि ऋण विभाग की आवश्यकता पर बल दिया। चूंकि सहकारी समितयों को ग्रामीण विकास का माध्यम बनना था, इसलिए सन् 1935 में लोकप्रिय ढंग से चुनी गई सरकारों की स्थापना के साथ, ऐसे कार्यक्रम तैयार किए गए जिसमें ग्रामीण ऋणग्रस्तता को प्राथमिकता दी गई। सन् 1937 में नियुक्त मेहता समिति ने बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों के रूप में सहकारी ऋण समितियों के पुनर्गठनकी सिफारिश की।

11. दूसरे विश्व युद्ध में कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई, जिसके कारण किसानों को अधिक लाभ मिलने के कारण सहकारी समितियों की देनदारी में कमी आई। घरेलू उपभोग तथा कच्चे माल की कमी का मुकाबला करने के लिए सरकार ने उत्पादकों के सामान की खरीदारी तथा राशन व्यवस्था की शुरूआत की, जिसके लिए सहकारी समितियों का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इससे बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों के विकास को बल मिला।

12. सन् 1939-1945 के दौरान शहरी ऋण संरचना के विकास को बल मिला। कई समितियों ने बैंकिग क्रियाकलापों की शुरूआत की और समय के साथ-साथ उनके आकार, प्रचालन और गतिविधियों में महत्वपूर्ण बहुमुखी विकास हुआ।

13. **बहु-ईकाई सहकारी समिति अधिनियम 1942**

- एक से अधिक राज्यों में सदस्यता वाली सहकारी समितियों के विकस के साथ-साथ केन्द्र सरकार ने वेतन भोगी ऋण समितियों का प्रायोजन किया और ऐसी बहु-ईकाई तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के लिए सहकारी कानून की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार 1942 में बहु-ईकाई सहकारी समिति

अधिनियम पारित किया गया जिसने सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियों को व्यावहारिक रूप से राज्य के रजिस्ट्रारों को दे दिया।

14. जहां सहकारी एजेंसियां काफी मजूबत नहीं थीं, वहां सन् 1944 में गाडगिल समिति ने ऋण के अनिवार्य समायोजन तथा कृषि ऋण नियमों की स्थापना की सिफारिश की।

15. **सहकारी योजना समिति (1945)**

- श्री आर.जी. सरैया की अध्यक्षता में सन् 1945 में सहकारी योजना समिति की स्थापना हुई। इस समिति ने सहकारी समितियों को आर्थिक आयोजन के लिए लोकतंत्रीकरण का सबसे उपयुक्त माध्यम माना और आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र की परीक्षा की।

16. **स्वतंत्रतापूर्व विकास**

- सन् 1946 में सरदार बल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रेरित तथा श्री मोरारजी देसाई और श्री त्रिभुवन सिंह पटेल के नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के दुग्ध उत्पादक 15 दिन की हड़ताल पर चले गए। दुग्ध सप्लाई करने से मना करने पर, बंबई सरकार को एक निजी कंपनी पोलसन को दूध खरीदने का एकाधिकार प्रदान करने का आदेश वापस लेना पड़ा। जब दो प्राथमिक ग्राम दुग्ध उत्पादक समितियों का अक्तूबर, 1946 में पंजीकरण हुआ तब इतिहास का निर्माण हुआ। कुछ समय बाद 14 दिसम्बर, 1946 को खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ का अमूल के नाम से पंजीकरण हुआ।
- सन् 1947 में रजिस्ट्रारों के सम्मेलन ने सिफारिश की कि केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से प्राथमिक समितियों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रांतीय सहकारी बैंकों का पुनर्गठन किया जाए। पहली बार ऋण को विपणन के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ा गया और उदारतापूर्वक ऋण के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए तथा बड़ी संख्या में गोदामों और प्रसंस्करण संयंत्रों को स्थापित करने के लिए सहायता देने पर विचार किया गया।
- यहां सहकारी समितियों तथा बम्बई में कुछ विकास के बारे में उल्लेख करना उपयुक्त होगा, जिसने सहकारी क्षेत्र को काफी प्रभावित किया। बम्बई सरकार में श्री वैकुण्ठ भाई मेहता सहकारिता के मंत्री बने, इसके बाद प्रांत में सहकारी आन्दोलन शिक्षा कार्यक्रमों तथा शिक्षा निधि की स्थापना की सिफारिश की। सर मणिलाल नानावती की अध्यक्षता वाली कृषि ऋण संगठन समिति ने कृषि विŸा में राजकीय सहायता और सहकारी ऋण समितियों को बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों में बदलने की सिफारिश की। इसने त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण बैंकिग व्यवस्था और कई अन्य प्रकार की सहायता देने की सिफारिश की। इसने त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण बैंकिग व्यवस्था और कई अन्य प्रकार की सहायता देने की भी सिफारिश की।

17. **स्वातंत्र्योत्तर काल में विकास**

- सन् 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सहकारिता के विकास को बल मिला, योजना आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न योजनाओं में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई।
- पहली पंच वर्षीय योजना (1951-1956) में भारत में आर्थिक और राजनैतिक विकास के लिए पसंदीदा संगठनों के रूप में सहकारी समितियों और पंचायतों पर बल देने के औचित्य के रूप में सहकारी आन्दोलन

की रूपरेखा तैयार की गई। सामुदायिक विकास के सभी पहलुओं को समेटने के लिए योजना ने संगठन की सहकारी पद्धति को अपनाने पर बल दिया। इसने शहरी सहकारी बैंकों, कामगारों की औद्योगिक सहकारी समितियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों, आवास सहकारी समितियों, सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था की और यह सिफारिश की, कि प्रत्येक विभाग सहकारी समितियों के निर्माण की नीति का अनुसरण करे।

- **अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (1951)**
- व इस समय की महत्वपूर्ण पहल सरकार द्वारा गोरवाला समिति की नियुक्ति थी जो अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के नाम से प्रसिद्ध है। समिति की नियुक्ति सन् 1951 में की गई और सन् 1954 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने देखा कि देश के काफी बड़े भाग में सहकारी समितियों का प्रसार नहीं है तथा जिन क्षेत्रों में से समितियां हैं उनमें कृषि जनसंख्या का अधिकांश भाग इनकी सदस्यता से बाहर है। जहां इनकी सदस्यता है भी, वहां उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं (75.2 प्रतिशत) की आपूर्ति अन्य स्त्रोतों से होती है। समिति ने ग्रामीण ऋण की समेकित व्यवस्था करने तथा उनके मण्डलों में सहकारी नामांकित सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश की। इस प्रकार उनके प्रबंधन में सहभागिता की शुरूआत हुई। समिति ने प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना भी एक प्रमुख सिफारिश थी। समिति की सिफारिशों को विस्तारपूर्वक अनुलग्नक-3 में प्रस्तुत किया गया है।
- व सरकार तथा उनके चुने हुए प्रतिनिधियों ने आधारभूत उपागम तथा गोरवाला समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। केन्द्र सरकार ने इंपीरियल बैंक में बड़ा हिस्सा प्राप्त किया जिसे बाद में भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। सहकारी ऋण समितियों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम में संशोधन किया गया।
- सन् 1956 में पटना में अखिल भारतीय सहकारी सम्मेलन हुआ। इसने सहकारी समितियों में राज्य की प्रतिभागिता और उनके निदेशक मण्डल में सरकारी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया। यह स्वीकार किया गया कि ऐसे नामित सदस्यों की कुल संख्या निदेशकों की संख्या का एक तिहाई भाग या तीन, जो भी कम हो, होनी चाहिए। यह उन समितियों पर भी लागू होगा जिनमें सहकारी हिस्सा-पूंजी कुल पूंजी का 50 प्रतिशत से अधिक है।
- सन् 1953 में सहकारी समितियों के कार्मिकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना करने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ने संयुक्त रूप से केन्द्रीय समिति का गठन किया। अखिल भारतीय सहकारी संघ और राज्य सहकारी संघों को सहकारी समितियों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई।
- दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) ने राष्ट्रीय नीति के केन्द्रीय उद्देश्य के रूप में योजनाबद्ध विकास के अंग के रूप में सहकारी क्षेत्र के निर्माण पर बल दिया। आर्थिक गतिविधि के संगठन के लिए प्रमुख आधार के रूप में सहकारी समितियों को सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा गया। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना ने सरकारी विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। यह कल्पना की गई कि गांव का प्रत्येक परिवार कम से कम एक सहकारी समिति का सदस्य होगा।

कृषकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऋण तथा ऋणेत्तर समितियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। सहकारी समितियों में राज्य की विभिन्न स्तरों पर भागीदारी का मुख्य उद्देश्य, हस्तक्षेप या नियंत्रण करने की अपेक्षा, उनकी सहायता करना था। सहकारी समितियों ने राज्य की भागीदारी लागू करने के लिए योजना में दीर्घकालीन राष्ट्रीय कृषि ऋण प्रचालन निधि की स्थापना की सिफारिश की। इस अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निधि की स्थापना की गई जिससे देश में ऋणेतर सहकारी समितियों की शेयर-पूंजी में हिस्सेदारी के लिए राज्य ऋण ले सकें।

- सन् 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने औद्योगिक और कृषि उद्देश्यों के लिए और विकासशील सहकारी क्षेत्र के निर्माण के लिए सहकारी आधार पर आयोजित उद्यमों को राजकीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया।
- सन् 1936 में श्री एस.टी. राजा की अध्यक्षता वाली सहकारी निधि पर बनाई गई समिति ने राज्य सरकारों के विचारार्थ माॅडल बिल की सिफारिश की। सहकारी क्षेत्र को प्रभावित करने वाला इस समय का महत्वपूर्ण विकास था राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रस्ताव (1958)। सहकारिता नीति के प्रस्ताव ने इस बात पर बल दिया कि सहकारी समितियां ग्रामीण समुदाय के आधार पर प्राथमिक ईकाई के रूप में संगठित की जाएं और ग्राम सहकारी समिति तथा पंचायत के बीच गहरा समन्वय होना चाहिए। इस प्रस्ताव ने यह सिफारिशों के परिणामस्वरूप कई राज्य सरकारों ने अपने अधिनियमों में संशोधन किए।
- दूसरी योजना में सहकारी विपणन और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को सहकारिता विकास की समेकित योजना का अंग माना गया। लगभग 1900 प्राथमिक विपणन समितियों की स्थापना की गई तथा सभी राज्यों में राज्य विपणन महासंघों तथा केन्द्र में राष्ट्रीय सहकारी विपणन महासंघ की स्थापना की गई। कृषकों को ऋण तथा अन्य निवेश प्रदान करते हुए तथा उनके बढ़े हुए उत्पादन का प्रसंस्करण करते हुए, कृषि सहकारी समितियों के साथ-साथ विपणन सहकारी संस्थाओं ने हरित क्रांति के प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-69) ने इस बात पर बल दिया कि आर्थिक जीवन विशेषकर कृषि, लघु सिंचाई, लघु उद्योग तथा प्रसंस्करण, विपणन, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास तथा स्थानीय समुदायों के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में सहकारी समितियां धीरे-धीरे विकास करें। यहां तक कि माध्यमिक और बड़े उद्योगों तथा यातायात की कई गतिविधियों को सहकारिता के आधार पर चलाया जाए।
- साठ के दशक के मध्य के बाद विशषतया चीनी तथा कताई के क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण सहकारी समितियों की संख्या और अंशदान काफी बढ़ा, जिसका मुख्य आधार सहकारिता के क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने और वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालीन ऋण सहायता प्रदान करने की सरकार की नीति थी।
- दूध में आनन्द के पैटर्न पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना से भारतीय डेयरी सहकारी आन्दोलन को गति मिली। बाद में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने खाद्य तेलों के क्षेत्र में भी प्रवेश किया।
- सन् 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद, उपभोक्ता सहकारी संरचना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया गया। सरकार ने नीति के तौर पर उपभोक्ता या अन्य सहकारी समितियों को उचित दर की

दुकानों के आवंटन को तरजीह देने का निर्णय किया तथा कई राज्यों ने उचित दर की नई दुकानों को केवल सहकारी समितियों को ही आवंटित किया।

- शहरी सहकारी ऋण समितियों में लोगों की जमा पूंजी बढ़ने के साथ-साथ उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की जमा बीमा योजना के अंतर्गत बीमित कराने की आवश्यकता महसूस की गइ। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 तथा बाद में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के कुछ चुनिंदा प्रावधानों को 1 मार्च, 1966 से सहकारी बैंकों पर लागू किया गया ताकि उनके बैंकिंग व्यवसाय को विनियमित किया जा सके और जमा राशि पर बीमा कवर की सुविधा दी जा सके।

18. **कुछ राष्ट्रीय संस्थान जो 1960 के दशक के बाद अस्तित्व में आए**

- केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों के माध्यम से सहकारी समितियों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा सन् 1962 में कृषि पुनर्विति निगम की स्थापना की गई।
- संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में सन् 1963 में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (रा.सह.वि.नि.) की स्थापना की गई। रा.सह.वि.नि. की स्थापना ने सहकारी विपणन तथा प्रसंस्करण समितियों का त्वरित विकास किया।
- अक्तूबर 1964 में जब तकालीन प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री आनन्द के दौरे पर आए तब दुग्ध सहकारी समितियों के द्वारा लाए गए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से प्रभावित होकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को राष्ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में स्थापित करने की उपयुक्तता के बारे में बात की, ताकि आनन्द पैटर्न की दुग्ध सहकारिता को पूरे देश में लागू किया जा सके।
- इस अवधि में राष्ट्रीय सहकारी महासंघों की स्थापना और सन् 1967 में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का पुनर्गठन, पुणे में बैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान की स्थापना जैसे कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक विकास कार्य हुए। उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास भी इस अवधि की मुख्य उपलब्धि थी। साथ ही भूमि विकास बैंकों के विकास ने ग्रामीण इलैक्ट्रिक सहकारी समितियों और डेयरी, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन और श्रमिक सहकारी समितियों की स्थापना को गति प्रदान की।

19. चैथी पंच वर्षीय योजना (1969-74) अल्पकालीन और मध्यकालीन सहकारी संरचना को व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से सहकारी समितियों के पुनर्गठन को प्राथमिकता प्रदान की। सहकारी समितियों को प्रबंधन सहायता और शेयर पूंजी में अंशदान, साथ ही केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पुनर्वास के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए। इसने छोटे कृषकों के पक्ष में नीतियों को निश्चित करने पर बल दिया।

20. सन् 1965 में मिर्धा समिति ने सहकारी समितियों की प्रामाणिकता निर्धारित करने के लिए कुछ मानक स्थिर किए और अप्रामाणिक समितियों को समाप्त करने का सुझाव दिया। इस समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में सहकारी कानूनों में संशोधन किए गए। इसने सहकारी समितियों के स्वायत्त तथा लोकतांत्रिक चरित्र को नष्ट कर दिया।

21. पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) ने देनदारी के उच्च स्तर पर ध्यान केन्द्रीत किया। सहकारिता विभाग की अपनी कार्य पद्धति में क्षेत्रीय असन्तुलनों को ठीक करने और सहकारी समितियों के गरीब तबके पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया गया। सन् 1972 में योजना आयोग द्वारा

नियुक्त विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर सहकारी व्यवस्था के संरचनात्मक सुधार की कल्पना की गई। जैसाकि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कल्पना की थी, उसी प्रकार योजना ने कृषक सेवा सहकारी समितियों को स्थापित करने की सिफारिश की और सहकारी समितियों के व्यवसायिक प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया।

22. छठी पंचवर्षीय योजना (1979-85) ने ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में व्यवस्थित सहकारी प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। इस योजना के प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत और बहुउद्देश्यीय इकाईयों के रूप में पुनर्गठित करने के लिए उपायों की सिफारिश की। इसमें उपभोक्ता और विपणन सहकारी समितियों के संबंध को मजबूत करने का सुझाव दिया। सहकारी संघीय संगठनों की भूमिका का समेकन, डेयरी, मत्स्यपालन तथा लघु सिंचाई सहकारी समितियों के विकास को मजबूत बनाने, लघु और मध्यम स्तरीय सहकारी समितियों में जनशक्ति विकास आदि कुछ योजनाबद्ध कार्यक्रम थे।

23. **नाबार्ड अधिनियम 1981**

- सन् 1981 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) अधिनियम पारित किया गया और नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करना और कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों को बढ़ाकर ऋण क्षमता को बढ़ाना था।

24. **बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984**

- वास्तविक बहु राज्यीय सहकारी समितियों के संगठन एवं निष्पादन की सुविधा के लिए और उनके प्रशासन तथा प्रबंधन में एकरूपता लाने के लिए एक सर्वांगीण केन्द्रीय कानून लागू करने के उद्देश्य से बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 अधिनियमित किया गया। इससे पहले लागू बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1942 को रद्द कर दिया गया।

25. सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) ने इस तरफ इशारा किया कि यद्यपि ऋण के क्षेत्र में बहुमुखी विकास हुआ है किन्तु ऋणों की कम वसूली और ऋणों की काफी देनदारी चिन्ता का विषय है। अन्य बातों के साथ-साथ योजना ने बहु-उद्देश्यीय इकाईयों के रूप में प्राथमिक ऋण समितियों के विकास, विशेषकर कमजोर वर्गों को निवेश और सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए ऋण के प्रवाह को विस्तार देने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं के समायोजना के लिए पूर्वांचल, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाने और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की।

26. स्वायत्त सहकारी आन्दोलन और सहकारिता नियमों एवं सुधारों के प्रतिपादकों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार में 1985 में श्री के.एन. अर्द्धनारीश्वर के नेतृत्व में सहकारी प्रबंधन में लोकतंत्रीकरण और व्यवसायीकरण के लिए सहकारी कानून के संबंध में एक समिति का गठन किया। समिति ने राज्य सहकारी अधिनियमों में सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक चरित्र और स्वायत्तता के विरूद्ध उन कानूनी प्रावधानों को हटाने और उन प्रावधानों को जोड़ने की सिफारिश की जो सहकारी समितियों में व्यवसायिक प्रबंधन के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सक्रिय कर सकें।

27. इसी प्रकार, सन् 1989 में प्रो. ए.एम. खुसरो की अध्यक्षता में कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति ने कृषि तथा ग्रामीण ऋण की समस्याओं का परीक्षण किया और एक बड़े ढांचागत परिवर्तन का सुझाव दिया। समिति ने सिफारिश की कि आठवीं योजना को कमजोर कृषि ऋण समितियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनानी चाहिए।

28. **माडल सहकारी समिति अधिनियम 1990**

- सन् 1990 में चैधरी ब्रह्मप्रकाश की अध्यक्षता में योजना आयोग के द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसे सहकारी आन्दोलन के व्यापक आधार का पुनरीक्षण करने, भावी दिशाओं का सुझाव देने और आदर्श सहकारी अधिनियम को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया। समिति ने सन् 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सहकारिता राज्य का विषय होने तथा प्रत्येक राज्य में अपने सहकारिता संबंधी कानून होने तथा उसनके संबंधित राज्य तक सीमित सहकारी समितियों के सदस्यों पर लागू होने के कारण माडल सहकारी समिति अधिनियम के मसौदे को सभी राज्य सहकारों को विचार करने तथा राज्य स्तर पर लागू करने के लिए भेजा गया।

29. सन् 1990 में अर्थव्यवस्था में सुधारों तथा सरकार द्वारा उदारीकृत आर्थिक नीतियों का अनुसरण करने के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र सरकारों पर परिवर्तन लाने के लिए दबाव बढ़ाने लगा ताकि सहकारी समितियों को निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाया जा सके। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) ने सहकारी आन्दोलन को अधिक स्वायत्तता देते हुए और लोकतंत्रीकरण करते हुए स्व-प्रबंधित, स्व-नियंत्रित और आत्म निर्भर व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा सके। इसने आर्थिक क्रियाकलापों को सुधारने के लिए सहकारी समितियों की क्षमता बढ़ाने और छोटे किसानों, श्रमिकों, दस्तकारों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और व्यवसायिक प्रबंधन के क्षेत्र में सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने की बात की।

30. **समानांतर सहकारी कानून**

- नवीं योजना (1997-2002) से योजना के अंग के रूप में सहकारी समितियों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। चूंकि सहकारिता राज्य का विषय है और माडल सहकारिता अधिनियम के आधार पर राज्य के मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के संबंध में सहकारी समितियों के सदस्यों तथा सभ्य समाज ने सहकारी समितियों की आत्मनिर्भरता के लिए समानांतर सहकारी कानून को लागू करने के लिए कदम उठाए। आत्म निर्भर सहकारी समितियों की सामान्यतया परिभाषा इस रूप में की जाती है कि उन्होंने शेयर पूंजी अंशदान, ऋण तथा गारण्टी के रूप में सरकार से कोई सहायता प्राप्त न की हो। ये कानून मुख्यतया चैधरी ब्रह्मप्रकाश समिति की सिफारिशों पर आधारित थे। आंध्र प्रदेश (1995), मध्य प्रदेश (1999), बिहार (1996), जम्मू और कश्मीर (1999), उड़ीसा (2001), कर्नाटक (1997), झारखण्ड (1996), छत्तीसगढ़ (1999) और उत्तरांचल (2003) - नौ राज्यों में सहकारी समितियों का स्वायत्त और लोकतंत्रीकरण निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समानांतर सहकारी अधिनियम पारित किए गए।

31. **बहु-उद्देश्यीय राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002**

- आदर्श सहकारी अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए सन् 1984 में पारित बहु-उद्देश्यीय राज्य सहकारी समिति अधिनियम में सन् 2002 में संशोधन किया गया। राज्यों के कानून जो पहले कानूनों के साथ-साथ प्रचलन में थे, उनके विपरीत बहु-उद्देश्यीय राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में सन् 1984 के पहले अधिनियम का स्थान ले लिया।

32. **राष्ट्रीय सहकारिता नीति (2002)**

- सन् 2002 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य देश में सहकारी समितियों का सर्वांगीण विकास करना था। नीति का उद्देश्य सहकारी समितियों के स्वायŸा, आत्म निर्भर और लोकतांत्रिक ढंग से प्रबंधित समितियों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहयोग, प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना था, जो अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह हो और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें।
- सहकारिता के लिए राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन में प्रस्तुत सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सन् 2002 में राष्ट्रीय सहकारिता नीति के कार्यान्वयन के लिए योजना तैयार करने के लिए मंत्री स्तरीय कार्यदल का गठन किया गया। इस कार्यदल ने सुझाव दिया कि सभी राज्यों में समानांतर कानूनों के स्ाि◌ान पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ इसने यह भी सिफारिश की गई कि सहकारी समितियों को राजनीति मुक्त करने के उद्देश्य से संसद सदस्यों का विधान सभा के सदस्यों को किसी भी सहकारी समिति में पदाधिकारी न बनाया जाए।

33. **कम्पनी संशोधन अधिनियम 2002**

- डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता वाली समिति ने कम्पनी अधिनियम 1956 में संशोधन करने का सुझाव दिया। समिति की सिफारिश पर संसद में निर्माता कम्पनी बिल (प्रोड्यूसर कम्पनी बिल) प्रस्तुत किया गया और 06 फरवरी, 2003 को यह कम्पनी अधिनियम 1956 में निर्माता कम्पनियां - खण्ड IXक (पार्ट IXए-प्रोड्यूसर कम्पनीज़ इन द कम्पनी एक्ट 1956) के रूप में कानून बना। परस्पर सहायता के सहकारी सिद्धांत के आधार पर इसने सहकारी उद्यमां◌े के मौजूदा रूप के स्थान पर सांस्थानिक रूप का विकल्प प्रदान किया।

34. **एन.सी.डी.सी संशोधन अधिनियम 2002**

- ऋण देने के कार्यक्षेत्र को सुधारने और उनकी निधि व्यवस्था में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से एन.सी.डी.सी. अधिनियम का 2002 में संशोधन किया गया जिसमें अधिसूचित सेवाओं, पशुधन तथा औद्योगिक गतिविधियों को शामिल किया गया और उपयुक्त सुरक्षा के आधार पर सहकारी समितियों को वित्त-पोषण प्रदान किया गया।

35. **सहाकरी ऋण समितियों को पुनर्जीवित करने पर कार्यदल**

- ग्रामीण सहकारी ऋण की कमियों को सुधारने, ग्रामीण ऋण को तीन वर्षों में दोगुना करने और छोटे सीमांत किसानों को समितियों से प्राप्त होने वाली ऋण व्यवस्था को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सन् 2004 में ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य योजना का सुझाव देने और इस प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के आवश्यक उपाय सुझाने के लिए एक कार्यदल

का गठन किया गया। प्रो0 ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में कार्यदल ने सुझाव दिया कि किसी भी प्रकार की वित्तीय पुनर्रचना तबतक पुनर्जीवन नहीं दे पाएगी जबतक इस व्यवस्था की कमियों के मूल कारणों को दूर नहीं किया जाता और इसके लिए कानूनी उपायों की आवश्यकता होगी। अपने विचारणीय विषयों के अनुरूप कार्यदल की सिफारिशें मुख्यतया ऋण समितियों को पुनर्जीवित करने तक सीमित रहीं जिसके लिए इसने एक वित्तीय पैकेज का सुझाव दिया। वैद्यनाथन समिति ने एक आदर्श सहकारी कानून का भी सुझाव दिया जिसे राज्य सरकारें लागू कर सकती हैं। कार्यदल की सिफारिशें अब लागू की जा रही हैं। वैद्यनाथन समिति ने दीर्घकालीन सहकारी ऋण संरचना पर भी अपनी रिपोर्ट दी।

36. **सहकारी आन्दोलन -एक नज़र**

- सहकारी समितियां आज 99 प्रतिशत भारतीय गांवों को और देश में 71 प्रतिशत ग्रामीण घरों के सभी क्षेत्रों तक फैली हुई हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को निम्न सारणी में देख सकते हैं।